नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पॉम

क्या है यह मिशन : विश्व में भारत तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अमरीका, रूस व ब्राजील के बाद भारत तिलहन के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। हमारे देश में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूर्यमुखी, कुसुम व रामतिल प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। देश में 27 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में तिलहनी फसलें बोयी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में जितने तेल की खपत होती है, उस मात्रा में यहां तेल उत्पादित नहीं होता है। इसकी आपूर्ति के लिए भारत अन्य देशों से तेल आयात करता है। जिन देशों से तेल आयात किया जाता है, उनमें इंडोनेशिया और मलेशिया प्रमुख है। इस मद में बड़ी मात्रा में राशि खर्च की जाती है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि जब भारत में तिलहन उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं, तो क्यों न यहां ही तिलहन उत्पादन बढ़ाया जाए। इस मिशन के अन्तर्गत तीन मिनी मिशन हैं–

1. मिनी मिशन ऑन ऑयल सीड्स : – यह मिशन खाद्य तेलों से जुड़ी फसलों के प्रोत्साहन पर केन्द्रित है।

2. मिनी मिशन ऑन ऑयल पॉम्स : – यह मिशन सम्रुदी क्षेत्रों में होने वाली तिलहनी फसल ऑयल पॉम्स पर केन्द्रित है।

3. मिनी मिशन ऑन टीबीओस :– यह मिशन वृक्ष जनित तिलहनी फसलों के उत्पादन पर केनिद्रत है।

नोट : राज्य के सन्दर्भ में मिनी मिशन एक व तीन ही लागू है।

उद्देश्य :–

1. मिनी मिशन ऑन ऑयल सीड्स : तिलहनी फसलों के वर्तमान उत्पादन व उत्पादकता के स्तर 28.93 मिलियन टन व 1081 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 35.51 मिलियन टन उत्पादन व 1328 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का स्तर प्राप्त करना है।

कैसे काम करेगा मिशन : यह मिशन बीज प्रतिस्थापन दर, किस्मों के बदलाव, सिंचित क्षेत्रों में तिलहन उत्पादन, कम उत्पादन देने वालों खाद्यान्नों के बोए जाने वाले क्षेत्रफल को तिलहनी फसलों में बदलकर, तिलहनी फसलों का खाद्यान्न, दलहन व अन्य फसलों के साथ बुवाई कर तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल व उत्पादकता बढ़ाना है।

ये फसलें होंगी शामिल : मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूर्यमुखी, कुसुम और रामतिल।

राज्य सरकार की भूमिका : यह मिशन राज्य सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार 75 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराएगी और 25 प्रतिशत भागीदारी राजस्थान सरकार की होगी।

- राज्य स्तर पर इस परियोजना के संचालन हेतु दिशा निर्देश देने एवं आकलन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थाई समिति का गठन किया जाएगा।

- मिशन के आरंभ होने से पूर्व राज्य में तिलहनी फसलों के उत्पादन को लेकर बेंचमार्क सर्वे करवाया जाएगा।

- मिशन की प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। मिशन का समय–समय पर आकलन कर इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी।

- मिशन के सुचारू संचालन हेतु राज्य स्तरीय पराशर्मक नियुक्त किया जाएगा और 2 तकनीकी सहायक नियुक्त किए जाएंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में 2 तकनीकी सहायक नियुक्त किए जाएंगे।

मिशन के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं :–

बीज उत्पादन सम्बंधी सुविधाएं :

1. प्रमाणित बीज उत्पादन : किसान को सामान्य बीज पर 1200 रूपये प्रति क्विंटल और संकर किस्मों पर 2500 रूपए प्रति क्विंटल अनुदान देय होगा।

2. बीज मिनीकिट वितरण :– किसानों को निःशुल्क मिनिकिट बीज वितरण किया जायेगा।

3. पौध संरक्षण उपकरण :– (अ) हस्तचलित पौध संरक्षण उपकरण जैसे की नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर एवं इकोफ्रंडली लाइटट्रेप आदि में प्रति उपकरण 40 प्रतिशत या 600/– उपकरण किसानों को अनुदान देय होगा। **(ब)** नेपसेक स्प्रेयर एण्ड ताइवान पावर स्प्रेयर (केपिसिटी लेस देन 16 लीटर) पर कीमत का 50 प्रतिशत या 3000/– उपकरण जो भी कम हो किसानों को देय होगा। (स) नेपसेक स्प्रेयर एण्ड ताइवान पावर स्प्रेयर (केपिसिटी मोर देन 16 लीटर) पर कीमत का 40 प्रतिशत या 8000/– प्रति उपकरण जो भी कम हो किसानों को देय होगा।

4. **पौध संरक्षण रसायन/खरपतवारनाशी :–** इसमें कीट एवं व्याधी को रोकने वाली रसायनों जो की तिलहनी फसलों मे काम आते है उस पर कीमत का 50 प्रतिशत या 500/–प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो किसानों को अनुदान देय होगा।

5. **जिप्सम /पाइराइट/लाइन/डोलोमाइट/सिंगल सुपर फासफेट :–** इसमें किसानों को कुल कीमत मय वाहन किराया का 50 प्रतिशत या 750/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो किसानों को अनुदान देय होगा।

6. **एन.पी.वी. (न्यूक्लियर पोली हाइड्रोसिस वायरस) :–** इसमें किसानों को तिलहनी फसल सोयाबीन में कुल कीमत का 50 प्रतिशत या 500/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो किसानों को अनुदान देय होगा।

7. **कल्चर वितरण :–** इसमें किसानों को कुल कीमत का 50 प्रतिशत या 300/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो किसानों को अनुदान देय होगा।

8. **कृषि यंत्र :–** हस्तचलित कृषि यंत्र पर कुल कीमत का 40 प्रतिशत या 8000/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो किसानों को अनुदान देय होगा। **(ब)** ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र पर कुल कीमत का का 40 प्रतिशत या 50000/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो किसानों को अनुदान देय होगा।

9. **फव्वारा संयत्र वितरण :–** इसमें कुल कीमत का 40 प्रतिशत या 10000/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो किसानों को अनुदान देय होगा।

10. **पाइप लाइन :–** इसमें कुल कीमत का 50 प्रतिशत से अधिकतम 15000/– प्रति इकाई 600 मीटर तक जो भी कम हो किसानों को अनुदान देय होगा।

11. सीड स्टोरेज बीनस :– इसमें कुल कीमत का 25 प्रतिशत से अधिकतम 2000/– प्रति बीन 20 क्विं. एवं 1000/– बीन 10 क्विं. क्षमता पर किसानों को अनुदान देय होगा।

12. **प्रदर्शन :** (अ) तिलहन के फसल प्रदर्शन आयोजन किये जाते है। जिसमें नई किस्म के बीजों का उपयोग कर फसल का उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य है। इसके लिए प्रति प्रदर्शन अलग–अलग फसलों हेतु अलग–अलग अनुदान राशि देय है।

प्रदर्शन कार्यक्रम	**प्रदर्शन पर देय अनुदान**
उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के वृहद प्रदर्शन –	आदानों के वास्तविक व्यय का
(खरीफ मौसम)	
मूंगफली	50 %या अधिकतम 7,500/– रूपये प्रति हैक्टर { जो भी कम हो }
सोयाबीन	50 %या अधिकतम 4,500/– रूपये प्रति हैक्टर { जो भी कम हो }
सूरजमुखी	50 %या अधिकतम 3,000/– रूपये प्रति हैक्टर { जो भी कम हो }
तिल , अरण्डी, कुसुम, रामतिल	50 %या अधिकतम 3,000/– रूपये प्रति हैक्टर { जो भी कम हो }
रबी मौसम : सरसों	50 %या अधिकतम 3,000/– रूपये प्रति हैक्टर { जो भी कम हो }

(ब) पोलोथीन मल्च प्रदर्शनः– इसमें किसानों को मूगफली फसल में प्रदर्शन के साथ मल्च का भी प्रावधान जो कि प्रति है0 4000 रू0 है।

13. समन्वित कीट प्रबन्धनः– इसमें किसानों को फामर्स फिल्ड स्कूल स्तर पर प्रति सप्ताह 14 प्रशिक्षण दिये जाएंगें जो कि एक एफएफएस फिल्ड स्कूल 1000 है0 तिलहनी फसलों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

14:— किसान प्रशिक्षणः— इसमें एक प्रशिक्षण हेतु 24000 का प्रावधान है जिसमें 30 किसान मय दो दिवस हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें।

15:— अधिकारी/ प्रसार कार्यकर्ता/ आदान विक्रेता प्रशिक्षणः— इसमें एक प्रशिक्षण हेतु 36000 का प्रावधान है जिसमें 20 अधिकारी/ प्रसार कार्यकर्ता/ आदान विक्रेता दो दिवस हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें।

2. मिनी मिशन ऑन ट्री बोर्न ऑयल सीड्स : यह मिशन राज्य के उद्यानिकी और कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस मिशन में राज्य की विभिन्न संस्थाओं सहित राज्य के वन विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा।

इन पौधों को किया जाएगा शामिल : करंज, नीम, जेट्रोफा, जैतून, जोजोबा, महुआ।

नोट : इस मिशन के तहत इनका क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा।

- नीम के 400 पौधों के प्लांटेशन पर प्रति हेक्टेयर 17000 रूपये का अनुदान देय होगा। इन पौधों की व्यवस्था वन विभाग द्वारा करवाई जाएगी।

- जोजोबा के 2500 पौधों के प्लांटेशन पर प्रति हेक्टेयर 35000 रूपये अनुदान देय होगा। एजोर्फ के द्वारा पौधों की व्यवस्था की जाएगी।

- करंज के 500 पौधों के प्लांटेशन पर प्रति हेक्टेयर 20000 रूपये का अनुदान देय होगा। इन पौधों की व्यवस्था वन विभाग द्वारा करवाई जाएगी।

- जेट्रोफा के 2500 पौधों के प्लांटेशन पर प्रति हेक्टेयर 41000 रूपये का अनुदान देय होगा। इन पौधों की व्यवस्था वन विभाग द्वारा करवाई जाएगी।

- जैतून के 200 पौधों के प्लांटेशन पर प्रति हेक्टेयर 48000 रूपये का अनुदान देय होगा। आरओसीएल के माध्यम से पौधों की व्यवस्था करवाई जाएगी।

प्लांट के संरक्षण पर देय अनुदान :

- जिस किसान ने नीम का प्लांटेशन किया है, उसे दूसरे वर्ष से 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुदान देय होगा।
- जिस किसान ने जाजोबा का प्लांटेशन किया है, उसे 3200 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुदान देय होगा।
- जिस किसान ने करंज का प्लांटेशन किया है, उसे 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुदान देय होगा।
- जिस किसान ने जेट्रोफा का प्लांटेशन किया है, उसे 3200 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुदान देय होगा।
- जिस किसान ने जैतून का प्लांटेशन किया है, उसे 3200 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुदान देय होगा।
- जिस किसान ने महुआ का प्लांटेशन किया है, उसे 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुदान देय होगा।

उपकरणों पर अनुदान

- जब किसान के यहां नर्सरी तैयार हो जाएगी और ये पौधे बीज देने लग जाएंगे, तो किसानों को इन बीजों से तेल निकालने वाले उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा। **कृपया पताका ए देखें।**

किसानों का प्रशिक्षण :

- 30 किसानों के बैच को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण पर 24000 रूपये खर्च किए जाएंगे।

अधिकारियों का प्रशिक्षण :

- 20 अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें 36000 रूपये खर्च होंगे।